(ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(5)

"बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना होगा जिसके लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु:

बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परिवीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी:

बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, मूल पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी केन्द्रीय कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित "अपफ्रंट रकम" पर देय होती, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे:

बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्स का तदंतर पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर केन्द्रीय कर से छूट उपर्युक्त शर्त के अधीन प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं।"।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी ।

[फा. सं. 354/204/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.िन. 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.िन. 734(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2019

## No. 28/2019-Central Tax (Rate)

**G.S.R. 970(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Central Tax (Rate), dated

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3

the 28<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017, namely:—

In the said notification, in the Table, against serial number 41, —

- (a) in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20" shall be substituted;
- (b) for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely, —

(5)

"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area:

Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard:

Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of central tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty:

Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub-lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the central tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of January, 2020.

[F. No. 354/204/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note:** The principal notification No. 12/2017-Central Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2019-Central Tax (Rate), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019 *vide* number G.S.R. 734(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2019.

## अधिसूचना नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2019 सं. 29/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 971(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 692(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-॥, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—